

**न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)**

अपील संख्या:- 12/02/2026

दायर दिनांक:-05.01.2026

रजि0 न0 2026/4

**अपीलार्थी:-**

**प्रत्यर्थी:-**

श्री रामेन्द्र कुमार यादव पुत्र रामदयाल यादव,  
निवासी-ग्राम बडेर का बास, ग्राम पंचायत बडेर  
पं.सं. व तहसील-मालाखेडा जिला-अलवर  
(राज.) 321633

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त  
जिला कलक्टर द्वितीय, जिला अलवर  
(राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

**---:: निर्णय ::---**

दिनांक:- 20.01.2026

1. उभय पक्ष अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 28.07.2025 के परिपेक्ष्य में मिली सूचना से असंतुष्ट होकर उचित सूचना दिलवाये जाने हेतु अपील पेश की गई है।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 13.01.2026 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया एवं प्रत्यर्थी ने जवाब अपील पत्रांक लो०सू०अ०/प्रथम अपील/2026/46 दिनांक 16.01.2026 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक: 28.07.2025 को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार RTI Online Portal पर जरिये Application No. 293260427699796 दिनांक: 25.11.2025 के परिप्रेक्ष्य में सतर्कता अनुभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर ऑनलाईन पत्र सं. 3924618988 दिनांक 25.11.2025 के माध्यम से विनिश्चय कर अपीलार्थी को पंजीकृत-पत्र के माध्यम से सूचना भिजवाई जा चुकी है। प्रति संलग्न है। उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई सूचना/कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
6. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना के क्रम में ऑनलाइन पत्र सं. 3924618988 दिनांक 25.11.2025 के माध्यम से विनिश्चय किया जाकर सूचित किया जा चुका है एवं प्रथम अपील के अनुसरण में लो०सू०अ०/प्रथम अपील/2026/47 दिनांक 16.01.2026 के माध्यम से अपीलार्थी को संसूचित किया जा चुका है जो उचित एवं पर्याप्त है उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।
7. आज दिनांक 20.01.2026 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया ।



(डा. आर्तिका शुक्ला)  
अपीलीय अधिकारी एवं  
जिला कलक्टर, अलवर